प्राथमिक डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 2 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम उदयपुरवाटी

व इजलास – श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस)

प्रहलाद बनाम मुनेश आदि

वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 230/2022

जी सी एम एस न0 2022/538

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान के डिकी दी जाती है।

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। तथा प्राथमिक डिकी इस आशय की दी जाती है कि ग्राम छावसरी पटवार हल्का छावसरी तहसील गुढ़ागौड़जी की सरहद में भूमि खसरा न. 1026 रकबा 1.2600 है0, खसरा न. 1744/614 रकबा 1.0200 है0, खसरा न. 616 रकबा 0.2800 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 2.5600 है0 में वादी के हिस्से की भूमि का कब्जा एंव राजस्व रिकार्ड के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुऐ विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार गुढागौडजी उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मय नक्शा के दो प्रतियो में एक माह में न्यायालय हाजा में पेश करें।

.निज..–............–................ मुबलिक –............–................. दाबन.–..............................–....... ....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह –.................................... फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक –................–...................... का अदा करे।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 08 सन 2022 को जारी की गई।

26/8/22

उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible]

प्रह्लाद .... बनाम मुनेरा वगै.

दावा विभाजन

एडमिट करने से पूर्व [illegible] बिन्दु:-

1. क्या क्षैत्राधिकार है ? हा
2. क्या पर्याप्त मुद्रांक पर है? हा
3. क्या अंकित तथ्य कार्यवाही की हेतुक दर्शित करते है? हा
4. क्या मियाद बाहर है? नही
5. क्या वाद से संबंधित सभी पक्षकार बनाया है तथा सभी रूप में अंकित किया गया है ? हा
6. क्या वाद में निरर्थक बात लिखी है या अन्यथा प्रपची है? नही
7. क्या सी.पी.सी. के आदेश की पालना किया गया है? हा
8. क्या दावे के साथ नवीनत जमाबंदी की प्रतिलिपियां संलग्न है? हा
9. क्या इस आशय का शपथ पत्र संलग्न की प्रार्थी जिस जमाबंदी के आधार पर दावा प्रस्तुत कर रहा है बाद मे भूमि अथवा इसके भाग का बेचान अन्य व्यक्ति को नही किया गया है? नही
10. क्या बंटवारे के दावे में समस्त खातेदार को पक्षकार बना लिया गया है ? हा
11. क्या राज्य सरकार अथवा जिला कलक्टर पोर्टी है? TDR.
12. क्या दावे के प्रत्येक पेज पर प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी है ? हा
13. क्या राजस्व भूमि शहर क्षेत्र की है यदि हॉ तो संबंधित शहरी निकाय को पक्षकार बनाया है ? नही
14. क्या वाद पंजीकृत विलेख को निरस्त करने बाबत है? नही
15. क्या भूमि विक्रय अनुबंध के जरिये हुआ है? नही
16. क्या ऐसी भूमि से संबंधित है जिससे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी के अन्तर्गत संपरिवर्तन किया गया है? नही
17. क्या दर्ज किया जाना उचित है? हा

17.6.22

हस्ताक्षर

रिडर अथवा अहलमद

पंजीबद्ध किया जाकर [illegible] 17.6.22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24.5.24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। आज पीठासीन अधिकारी —— अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 31.7.24 को पेश हो। रीडर
31.7.24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13.8.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं (राज.)
13.8.24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय/डिक्री अलग से शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं (राज.)